स्थानीय सरकार

प्रलिम्सि के लयि:

स्थानीय सरकारें, 73वाँ संवधिान संशोधन, 74वाँ संशोधन अधनियिम (1992)।

मेन्स के लयि:

पंचायती राज संस्थान, शहरी स्थानीय नकिाय।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देश भर के राज्य चुनाव आयोगों द्वारा हर पाँच वर्ष में स्थानीय नकिायों के चुनाव कराने के अपने संवैधानकि दायत्वों को अच्छे से नभिाना चाहयि।

- चुनाव आयोग चुनाव कराने की जल्दबाज़ी के कारण परसिीमन की प्रक्रयिा या नए वार्डों के गठन जैसे आधारों को **रद्द नहीं कर सकता है**।
- न्यायालय ने पाया कि **23,000 ग्रामीण स्थानीय नकिायों** के अलावा **मध्य प्रदेश में 321 शहरी स्थानीय नकिायों में 2019-2020 के बाद से चुनाव नहीं** हुए।

स्थानीय सरकार:

- **परचिय:**
  - स्थानीय स्वशासन ऐसे स्थानीय नकिायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन है जसिके सदस्य स्थानीय लोगों द्वारा चुने जाते हैं।
  - स्थानीय स्वशासन में **ग्रामीण और शहरी** दोनों सरकारें शामलि हैं।
  - यह सरकार का **तीसरा स्तर** है।
  - स्थानीय सरकारें 2 प्रकार की होती हैं - **ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें** और **शहरी क्षेत्रों में नगर पालकिाएँ**।
- **ग्रामीण स्थानीय नकिाय:**
  - पंचायती राज संस्था (PRIs) भारत में **ग्रामीण स्थानीय स्वशासन** की एक प्रणाली है।
  - पीआरआई को 73वें संवधिान संशोधन अधनियिम, 1992 के माध्यम से ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को साकार करने के लयि संवैधानकि दर्ज़ा प्रदान कयिा गया और इसे देश में ग्रामीण वकिास का कार्य सौंपा गया।
    - इस अधनियिम ने भारत के संवधिान में एक नया भाग-IX जोड़ा है। इस भाग में 'पंचायतों' के लयि कयि**(अनुच्छेद 243 से 243-O तक)** गए प्रावधान शामलि हैं।
    - इसके अलावा अधनियिम ने संवधिान में एक नई ग्यारहवीं अनुसूची भी जोड़ी है। इस अनुसूची में पंचायतों की 29 कार्यात्मक मदें शामलि हैं। यह अनुच्छेद **243-G** से संबंधति है।
  - अपने वर्तमान स्वरूप और संरचना में PRIs ने अपने अस्तत्वि के 30 वर्ष पूरे कर लयि हैं। हालाँकि ज़मीनी स्तर पर वकिेंद्रीकरण और लोकतंत्र को मजबूत करने के लयि आगे बहुत कुछ कयिा जाना बाकी है।
- **'शहरी स्थानीय नकिाय:**
  - शहरी स्थानीय नकिायों की स्थापना लोकतांत्रकि वकेंद्रीकरण के उद्देश्य से की गई है।
  - भारत में आठ प्रकार के शहरी स्थानीय नकिाय वद्यिमान हैं- नगर नगिम, नगर पालकिा, अधसिूचति क्षेत्र समति, नगर क्षेत्र समति, छावनी बोर्ड, टाउनशपि, बंदरगाह ट्रस्ट, वशिेष प्रयोजन एजेंसी।
  - केंद्रीय स्तर पर 'नगरीय स्थानीय शासन या नकिाय' का वषिय नम्निलखिति तीन मंत्रालयों द्वारा देखा जाता है।
    - वर्ष 1985 में शहरी वकिास मंत्रालय (अब आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय) को एक अलग मंत्रालय के रूप में बनाया गया था।
    - छावनी बोर्डों के मामले में रक्षा मंत्रालय।
    - केंद्रशासति प्रदेशों के मामले में गृह मंत्रालय।
  - वर्ष 1992 में शहरी स्थानीय सरकार से संबंधति 74वाँ संशोधन अधनियिम पी.वी. नरसम्हिा राव की सरकार द्वारा प्रस्तुत कयिा गया जो 1 जून, 1993 को लागू हुआ।

- इसके द्वारा संविधान में भाग IX-A को जोड़ा गया जिसमें अनुच्छेद 243-P से 243-ZG तक के प्रावधान शामिल हैं।
- जोड़ा गया भाग IX-A और इसमें अनुच्छेद 243-P से 243-ZG तक के प्रावधान शामिल हैं।
- संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित 18 विषय शामिल हैं तथा ये अनुच्छेद 243-W से संबंधित हैं।

73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताएँ:

- **अनिवार्य प्रावधान:**
  - ग्राम सभाओं का गठन।
  - ज़िला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना का निर्माण।
  - लगभग सभी पद, सभी स्तरों पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाएंगे।
  - पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु 21वर्ष होनी चाहिये।
  - ज़िला एवं प्रखंड स्तर पर अध्यक्ष का पद अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाना चाहिये।
  - पंचायतों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात में और पंचायतों में महिलाओं के लिये एक-तिहाई सीटें आरक्षित होनी चाहिये।
  - पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिये प्रत्येक राज्य में राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा।
  - पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पाँच वर्ष है, यदि इन्हें पहले भंग कर दिया जाता है, तो छह महीने के भीतर नए चुनाव कराने होंगे।
  - प्रत्येक पाँच वर्ष में प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना।
- **स्वैच्छिक प्रावधान:**
  - इन निकायों में केंद्र और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को मतदान का अधिकार देना।
  - पंचायती राज संस्थाओं को कर, शुल्क आदि के संबंध में वित्तीय अधिकार दिये जाने चाहिये तथा पंचायतों को स्वायत्त निकाय बनाने का प्रयास किया जाएगा।

74वें संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ:

- **अनिवार्य:**
  - छोटे, बड़े और बहुत बड़े शहरी क्षेत्रों में क्रमशः नगर पंचायतों, नगर परिषदों व नगर निगमों का गठन।
  - अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये शहरी स्थानीय निकायों में सीटों का आरक्षण मोटे तौर पर उनकी आबादी के अनुपात में।
  - एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित;
  - पंचायती राज निकायों में चुनाव कराने के लिये गठित राज्य निर्वाचन आयोग (73वाँ संशोधन) शहरी स्थानीय स्वशासी निकायों के लिये भी चुनाव कराएगा।
  - पंचायती राज निकायों के वित्तीय मामलों से निपटने के लिये गठित राज्य वित्त आयोग स्थानीय शहरी स्वशासी निकायों के वित्तीय मामलों को भी देखता है।
  - शहरी स्थानीय स्वशासी निकायों का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित किया गया है और पहले विघटन के मामले में छह महीने के भीतर नए चुनाव होते हैं।
- **स्वैच्छिक:**
  - इन निकायों में संघ और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को मतदान का अधिकार देना।
  - पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण प्रदान करना।
  - करों, शुल्कों, टोल और शुल्कों आदि के संबंध में वित्तीय अधिकार देना।
  - नगर निकायों को स्वायत्त बनाना और इन निकायों को इस अधिनियम के माध्यम से संविधान में जोड़ी गई बारहवीं अनुसूची में शामिल कुछ या सभी कार्यों को करने और/या आर्थिक विकास के लिये योजनाएँ तैयार करने की शक्तियाँ प्रदान करना।

प्रश्न. स्थानीय स्वशासन किस गुण की सर्वाधिक सटीक व्याख्या करता है? (2017)

(a) संघवाद
(b) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
(c) प्रशासनिक प्रतिनिधिमंडल
(d) प्रत्यक्ष लोकतंत्र

उत्तर: (b)

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/local-governments-1